राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1737/2012

श्याम लाल बराला **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, जयपुर।
3. उप जिला शिक्षा अधिकारी, चौमू, जिला जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.12.2012
आदेश की दिनांक : 03.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सौरभ पुरोहित, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि वह अपीलार्थी के वेतनमान 6500–10500 दिनांक 01.09.1996 से पुनः निर्धारण करे और निर्धारण का एरियर का भुगतान भी करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी से राशि रूपये 24891/– जो अवैद्य रूप से वसूली गई है, उसे 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वापिस किए जाने के आदेश दिए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद से सेवानिवृत्त हो चुका है। उसकी प्रारंभिक नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर दिनांक 09.01.1964 को हुई थी। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के द्वारा ऐसे कार्मिक जिनको पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया। उन्हें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया। अपीलार्थी को भी उसकी सेवा की अवधि के अनुसार चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। राज्य सरकार के अधिसूचना एवं राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 1998 के तहत अपीलार्थी का वेतनमान 6500–10500 में निर्धारित किया गया। साथ ही विकल्प पत्र भी प्रत्यर्थी

विभाग द्वारा अपीलार्थी से दिनांक 20.10.1998 को भरवाया गया। अपीलार्थी दिनांक 31.12.1999 को सेवानिवृत्त हुआ। परंतु सेवानिवृत्ति का लाभ अपीलार्थी के रोक दिए गए। अपीलार्थी द्वारा कार्यालय उप जिला शिक्षा अधिकारी, चौमू द्वारा पुनः दूसरा पिछली तारीख 10.05.1995 से विकल्प पत्र भरवाया गया, जिसके बाद अपीलार्थी का वेतनमान 6500–10500 के बजाय 5500–9000 निर्धारित किया गया और अपीलार्थी से रूपये 24891/– की वसूली की गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 08.06.2001 जारी की गई, जिसमें यह बताया गया कि 6500–10500 वेतनमान को 5500–9000 में किया गया है। उक्त अधिसूचना के विरूद्ध कार्मिकों ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष राजस्थान राज्य बनाम रामनिवास पोरवाल चुनौती दी और माननीय उच्च न्यायालय ने निर्धारण वेतनमान नियम 1998 के नियम 6 के तहत उक्त वेतनमान देने का आदेश दिया, जिसके क्रम में राज्य सरकार ने दिनांक 04.06.2010 के द्वारा निर्णय के आधार पर वेतनमान 6500–10500 का लाभ उन सभी अध्यापकों को दिया, जो दिनांक 01.07.1998 से पूर्व पदोन्नत हुए। अपीलार्थी को जब उक्त जानकारी प्राप्त हुई तो उसने प्रत्यर्थी विभाग को वर्ष 2010, 2011 एवं 2012 में अभ्यावेदन दिए। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उनका कोई निस्तारण नहीं किया गया और अपीलार्थी 5500–9000 वेतनमान के अनुसार ही पेंशन प्राप्त कर रहा है। जबकि अपीलार्थी भी वेतनमान 6500–10500 प्राप्त करने का हकदार है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि वह अपीलार्थी के वेतनमान 6500–10500 दिनांक 01.09.1996 से पुनः निर्धारण करे और निर्धारण का एरियर का भुगतान भी करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी से राशि रूपये 24891/– जो अवैद्य रूप से वसूली गई है, उसे 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वापिस किए जाने के आदेश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के स्वयं के द्वारा प्रत्यर्थीगण के समक्ष दिनांक 10.05.1999 को विकल्प पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त विकल्प पत्र के आधार पर फिक्सेशन उपरांत अपीलार्थी की पेंशन स्वीकृत करवाई गई तथा उक्त विकल्प पत्र के आधार पर ही देय किए वेतन अनुसार अपीलार्थी जनवरी, 2000 से 2012 तक पेंशन एवं अन्य परिलाभों का अंगीकार करता आ रहा। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर आदेश दिनांक 04.06.2010 के अनुसरण में रिवाईज्ड फिक्सेशन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं अपीलार्थी

की प्रार्थना अनुसार ही रिवाईज्ड फिक्सेशन किया गया। विकल्प पत्र दिनांक 09.03.1998 को प्रस्तुत कर दिनांक 20.10.1998 से वेतनमान का लाभ चाहने हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार द्वारा एनपीएस 1998 को दिनांक 01.07.1998 को लागू किया गया। ऐसी स्थिति में अधिसूचना लागू होने की दिनांक से पूर्व ही दिनांक 09.03.1998 को विकल्प पत्र किस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10.05.1995 के स्थान पर 10.05.1999 को विकल्प पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर दिनांक 09.01.1964 को हुई थी और वह दिनांक 31.12.1999 को सेवानिवृत्त हुआ। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के द्वारा ऐसे कार्मिक जिनको पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया, उन्हें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया। अपीलार्थी को सेवा की अवधि के अनुसार चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। अपीलार्थी से विकल्प पत्र प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 20.10.1998 को भरवाया गया। जहां तक अपीलार्थी द्वारा कार्यालय उप जिला शिक्षा अधिकारी, चौमू द्वारा पुनः दूसरा पिछली तारीख 10.05.1995 से विकल्प पत्र भरवाए जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह प्रकट हो कि अपीलार्थी से बैकडेट 10.05.1995 से विकल्प पत्र भरवाया गया हो। अपीलार्थी से दिनांक 10.05.1999 की डेट में ही विकल्प पत्र भरवाया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जिन कार्मिकों को वेतनमान 6500–10500 प्रदान किए जाने का निर्णय पारित किया गया है, अपीलार्थी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अपीलार्थी का मामला भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मामले के समान है। इस प्रकार अपीलार्थी का यह तर्क निराधार है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार वर्ष 1998 से पूर्व पदोन्नत हुए कार्मिकों को 6500–10500 वेतनमान प्रदान किया गया। इस प्रकार हमारे विनम्र मत में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विकल्प अपीलार्थी से विकल्प पत्र भरवाकर उचित एवं नियमानुसार वेतनमान निर्धारण करते हुए पेंशन परिलाभ आदि प्रदान किए गए हैं, जिसमें किसी

प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना परिलक्षित नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो कि अपीलार्थी को नियम विरूद्ध तरीके से पेंशन परिलाभ स्वीकृत किए गए हैं। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)